राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7(117) परि/नियम/मु./2015/ 4695 दिनांक 08/3/16

कार्यालय आदेश....4../2016

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग को विनियमित करने हेतु केन्द्र सरकार का अधिनियम 'विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 54)' विद्यमान है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही 'सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिबंध नियमावली, 2008' विरचित की गई है। उपरोक्त अधिनियम 2003 एवं नियम 2008 में धूम्रपान एव तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपलब्ध प्रावधानों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:—

1. विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम, 2003 की धारा 4 के प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं करेगा। उक्त धारा 4 के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत एवं नियमावली 2008 के नियम 5 की सारणी 3 के स्तंभ संख्या 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् विभाग के परिवहन निरीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा दो सौ रूपये तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।
2. अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत चालान एवं प्रशमन राशि की रसीद राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूप में किया जावेगा। क्षेत्राधीन समस्त सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान न करने के कार्य का भी पर्यवेक्षण प्रवर्तन कार्य के दौरान किया जावे। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध चालान/जुर्माने जैसी नियमानुकूल कार्यवाही कर कार्यवाही रिपोर्ट मासिक प्रगति प्रतिवेदन में मुख्यालय तथा राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

--2

3. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिबंध नियमावली 2008 के नियम 3(1)(ख) में यह भी अपेक्षा की गई है कि कार्यालय में प्रत्येक प्रवेश द्वार पर 60 सेन्टीमीटर X 30 सेन्टीमीटर आकार का बोर्ड निम्न प्रारूप में लगाया जावेगा–

In case of one smokes here, please lodge a complaint to:

यह बोर्ड सफेद पृष्ठभूमि का होगा। कम से कम 15 सेन्टीमीटर बाह्य व्यास का एक चक्र होगा जिसमें कम से कम 3 सेन्टीमीटर लाल परिमिति होगी एवं इसके केन्द्र में काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीडी का चित्र होगा और यह लाल पट्टी से रेखित होगा।

4. उपरोक्त नियमावली 2008 के नियम 3(2) की अपेक्षानुसार बोर्ड के नीचे उस अधिकारी का पूर्ण नाम व विवरण लिखा जावेगा।

5. जिला परिवहन कार्यालय स्तर पर संबंधित जिला परिवहन अधिकारी तथा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्तर पर संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यालय स्तर पर इसका पर्यवेक्षण अपर परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) के स्तर पर किया जायेगा जिसके यहां धूम्रपान व तंबाकू सेवन को प्रतिबंधित करने वाले नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत की जा सके।

6. अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि धूम्रपान व तंबाकू सेवन से संबंधित नियमों का क्षेत्राधीन सार्वजनिक स्थलों पर सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक :– प.7(117) परि/नियम/मु./2015/4696-4704 जयपुर, दिनांक :– 08/03/16

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राजय मंत्री महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
8. राजस्थान वोलेन्टरी हेल्थ एसोसिएशन, ए–12बी, महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर–302015
9. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)